

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम चौधरी आर.ए.एस.

68/2023

1. आरीफखान पुत्र श्योकतखान जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं० 22 तहसील भादरा।  
:-वादी

बनाम

फरजाना बानों पुत्री श्योकतखान पत्नी इकबालखान जाति कायमखानी निवासी भादरा  
हाल दरिबा बीदासर चुरू।

इमरान खान पुत्र श्योकतखान जाति कायमखानी निवासी वार्ड सं० 22 भादरा।

सदामहुसैन पुत्र श्योकतखान जाति कायमखानी निवासी वार्ड नं० 22 भादरा।  
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। :-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष  
1 वादी श्री मुंशीराम गोरवागी व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र भील की उपस्थिति में निर्णय  
स्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की  
है कि रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता सं० 192/177 के मु० नं० 26 के किला नं० 6,  
4 ता 17, मु० नं० 27 के किला नं० 1, 10 कुल रकबा 2.0224 है० बारानी खातेदारी में वादी  
फखां पुत्र इकबालखां, फरजाना बानों, इमरान खान, सदामहुसैन पि० इकबालखां, हलीमा  
इकबालखां के स्थान पर वादी आरीफ खान पुत्र श्योकत खान व प्रतिवादी सं० 1 फरजाना  
प्रतिवादी सं० 2 इमरान खान, प्रतिवादी सं० 3 सदामहुसैन पि० श्योकतखान व हलीमा पत्नी  
श्योकतखान दर्ज किया जावे तथा इसी प्रकार चक चक 8 बारानी के खाता सं० 165/151 के  
नं० 25 के किला नं० 6, 7, 14 ता 16, मु० नं० 26 के किला नं० 11, 12, 19, 20 कुल 2.  
है० बारानी खातेदारी में वादी आरीफखां पुत्र इकबालखां, फरजाना बानों, इमरान खान,  
महुसैन पि० इकबालखां, हलीमा पत्नी इकबालखां के स्थान पर वादी आरीफ खान पुत्र  
कत खान व प्रतिवादी सं० 1 फरजाना बानों, प्रतिवादी सं० 2 इमरान खान, प्रतिवादी सं० 3  
महुसैन पि० श्योकतखान व हलीमा पत्नी श्योकतखान दर्ज किया जावे व इसी प्रकार चक 8  
नी के खाता सं० 285/259 के मु० नं० 25 के किला नं० 17, मु० नं० 26 के किला नं० 13,  
21 कुल 1.012 है० में बारानी खातेदारी में वादी आरीफखां पुत्र इकबालखां, फरजाना बानों,  
रान खान, सदामहुसैन पि० इकबालखां, हलीमा पत्नी इकबालखां के स्थान पर वादी आरीफ  
न पुत्र श्योकत खान व प्रतिवादी सं० 1 फरजाना बानों, प्रतिवादी सं० 2 इमरान खान, प्रतिवादी  
3 सदामहुसैन पि० श्योकतखान व हलीमा पत्नी श्योकतखान दर्ज किया जावे व रोही मौजा  
8 बारानी के खाता सं० 191/176 के मु० नं० 12 के किला नं० 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता  
मु० नं० 13 के किला नं० 5, 6, 14 ता 18, 24, 25 मु० नं० 25 के किला नं० 4, 5 मु० नं०  
के किला नं० 1 ता 3, 8 ता 10 कुल 8.096 है० बारानी खातेदारी में वादी आरीफखां पुत्र  
इकबालखां, फरजाना बानों, इमरान खान, सदामहुसैन पि० इकबालखां, हलीमा पत्नी इकबालखां  
स्थान पर वादी आरीफ खान पुत्र श्योकत खान व प्रतिवादी सं० 1 फरजाना बानों, प्रतिवादी  
0 2 इमरान खान, प्रतिवादी सं० 3 सदामहुसैन पि० श्योकतखान व हलीमा पत्नी श्योकतखान  
र्ज किया जावे व इसी प्रकार रोही मौजा चक 9 बारानी के खाता सं० 187/169 के मु० नं० 75  
5 किला नं० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25 कुल रकबा 6.  
72 है० बारानी खातेदारी में वादी आरीफखां पुत्र इकबालखां, फरजाना बानों, इमरान खान,  
सदामहुसैन पि० इकबालखां, हलीमा पत्नी इकबालखां के स्थान पर वादी आरीफ खान पुत्र  
श्योकत खान व प्रतिवादी सं० 1 फरजाना बानों, प्रतिवादी सं० 2 इमरान खान, प्रतिवादी सं० 3  
सदामहुसैन पि० श्योकतखान व हलीमा पत्नी श्योकतखान दर्ज किया जाकर शुद्ध किया जावे व  
यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल  
दसमद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/04/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की  
गई।



(भागीरथ राम चौधरी)